



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226798
CG-DL-E-30042021-226798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 243]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 301(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवें संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम, 44घ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“44घक. धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग और उसकी सूचना –

- धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन अपने लंबित आवेदन को वापस लेने के लिए किसी निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग प्ररूप संख्यांक 34खख में किया जाएगा।
- प्ररूप संख्यांक 34खख, का सत्यापन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो धारा 140 के अधीन निर्धारिती की आय-कर विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत हो।

(3) प्ररूप संख्यांक 34खख, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स) या आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाएगा और उसके पश्चात् उप नियम (4) के अधीन उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंट आउट, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स) या आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अपलोड किया जाएगा।

(4) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स) या आय-कर महानिदेशक (सिस्टम्स), प्ररूप संख्यांक 34खख के अपलोड करने की रीति और सत्यापन तथा प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।

3. मूल नियमों में परिशिष्ट-2 में, प्ररूप संख्यांक 34खख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप संख्यांक 34खख

[नियम 44घक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ड की उपधारा (1) के अधीन लंबित आवेदन वापस लेने के विकल्प का प्रयोग सेवा में,
निर्धारण अधिकारी,

.....

श्रीमान/श्रीमती,

मैं,.....स्थायी खाता संख्यांक (पैन)..... /आधार संख्यांक.....आयकर-अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 245ग के अधीन समझौता के लिए अपने आवेदन को वापस लेने के विकल्प का प्रयोग करने की सूचनातारीख कोसंख्यांक द्वारा.....पीठ पर देता हूँ।

2. मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि मेरा उपरोक्त आवेदन अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया था और ऐसे आवेदन के संबंध में 31 जनवरी, 2021 को या उसके पूर्व अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

सत्यापन

मैं,.....(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), पुत्र/पुत्री.....(पिता का नाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह जानकारी.....की हैसियत से दे रहा हूँ और मैं अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम भी हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....।”।

[अधिसूचना सं. 40/2021] [फा.सं. 370142/8/2021-टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 291(अ) तारीख 26 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।